राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 53/2023

सरजीत यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव वित विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव कोष एवं लेखा निदेशालय जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.1.2023
आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भावला, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबंध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी (जी–II) के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (एक्स कॉडर) में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 40 किमी दूर यिका गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थांनातरण जिस स्थान पर किया गया वहां पर अभी तक किसी को नहीं लगाया गया है एवं उसे गलत पद दर्शाते हुए पदस्थापित किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहायक लेखा अधिकारी (जी–II) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद

पर जोधपुर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर 1991 एस.सी 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानांतरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Goverment servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at on place or the other, he is liable to be transferred from on place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानांतरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 40 किमी दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू एल सी 2007(2) 276 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

" "

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य